फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री मोहन लाल पानेरी नि0 बागोल गांव पानेरियों की मादडी, नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा – प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 30 / 2024**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 14.05.2024 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा से जरिये पृष्ठांकित अपीलार्थी क्रमांकः प.(क)स्था. / आरटीआई / 2024 / 35 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बिन्दु सं. 1 की सूचना श्री मोहनलाल पानेरी द्वारा दिनांक 25.08.2023 को सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग नाथद्वारा को प्रार्थना पत्र दिया गया जिसकी प्रतिलिपि उपखण्ड कार्यालय को दी गयी। बिन्दु सं. 2 की सूचना श्री मोहनलाल पानेरी द्वारा दिनांक 11.12.2023 को सहायक अभियन्ता सिंचाई विभाग नाथद्वारा को प्रार्थना पत्र दिया जिसकी प्रति उपखण्ड कार्यालय को दी गई जो मूल ही तहसीलदार नाथद्वारा को प्रेषित किया गया। एवं तहसीलदार नाथद्वारा द्वारा पत्र के प्रत्युत्तर मे भू0अ0नि0 की रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त सभी सूचना अपीलार्थी को निशुल्क जरिये रजिस्टर्ड डाक से अपीलार्थी को भिजवाई गई। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी को जरिये पत्र क्रमांकः प.(क)स्था. / आरटीआई / 2024 / 35 से वांछित सूचना अपीलार्थी को निशुल्क जरिये रजिस्टर्ड डाक से अपीलार्थी को भिजवा दी जाने से उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** लोक सूचना अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर) राजसमंद	

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)